भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3984

जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग

3984. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का पंजाब में लुधियाना- भठिंडा राजमार्ग परियोजना हेतु अनुमोदन पत्र वापस लेने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 से लुधियाना- भठिंडा राजमार्ग परियोजना को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा / लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग परियोजना में विलंब के कारण हुए वित्तीय प्रभाव और हानि के संबंध में कोई आकलन कराया है, यदि हां, तो अनुमानित वित्तीय निहितार्थों का ब्यौरा क्या है और आगे और विलंब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस परियोजना की प्रगति को प्रभावित करने वाली किन-किन चुनौतियों की पहचान की गई है;

(च) इसे समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

(छ) क्या सरकार की इस कार्य की गुणवत्ता और परियोजना के लिए समय-सीमा के अनुपालन का मूल्यांकन करने हेतु तीसरे पक्ष से लेखापरीक्षा कराने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) लुधियाना-बठिंडा खंड को निम्नलिखित तीन पैकेजों में कार्यान्वित किया जा रहा है:

(i) पैकेज-I (30.300 किमी): 14.09.2023 से निर्माणाधीन।

(ii) पैकेज-II (45.243 किमी): 09.11.2021 को परियोजना सौंपी गई; रियायत समझौते पर अभी हस्ताक्षर होना बाकी है। लुधियाना-भठिंडा (पैकेज-II) खंड के लिए आबंटन पत्र (एलओए) पंजाब राज्य सरकार द्वारा भूमि का कब्जा सौंपने में देरी के मद्देनजर पहले वापस लेने के लिए विचाराधीन था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लगभग 92% भूमि का कब्ज़ा सौंप दिए जाने के कारण, एलओए को वापस लेने के प्रस्ताव को रोक दिया गया है।

(iii) दक्षिणी लुधियाना बाईपास (25.24 किमी): इस परियोजना को पहले दिनांक 02.06.2022 को सौंपा गया था। तथापि, भूमि की अनुपलब्धता के कारण जनवरी, 2024 में एलओए वापस ले लिया गया था। अब, भूमि की उपलब्धता को देखते हुए, सौंपे जाने के लिए नई बोलियाँ आमंत्रित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) किसानों और स्थानीय भूस्वामियों से भूमि के कब्जे के संबंध में जिला प्रशासन और मुख्य सचिव, पंजाब सरकार के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं ताकि इस पर अनुवर्ती कार्रवाई और बारीकी से निगरानी की जा सके। लुधियाना-भठिंडा राजमार्ग परियोजना में भूमि के कब्जे की वर्तमान स्थिति और पूरा होने की स्थिति निम्नानुसार है:

पैकेज	**परियोजना की लंबाई (किमी में)**	**कब्जे में लंबाई (किमी में)**	**कब्जा (% में)**	**नियत तिथि**	**संभावित समापन तिथि**
पैकेज -I	30.3	30.3	100 %	14.09.2023	22.04.2026
पैकेज -II	45.24	41.64	92.04 %	अभी घोषित होनी बाकी है	नियत तिथि से 730 दिन
दक्षिणी लुधियाना बाईपास	25.24	21.69	88.09 %	लागू नहीं	बोलियाँ आमंत्रित की गई। नियत तिथि से 730 दिन

(घ) देरी के कारण लागत में वृद्धि हो सकती है जिसका पता कॉरिडोर के पूरा होने के बाद ही चलेगा। देरी को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और राजमार्ग के पूरा होने में तेजी लाने के लिए बेहतर परियोजना प्रबंधन, समय पर संसाधन आवंटन और संविदाकारों के साथ समन्वय सहित विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) किसानों द्वारा भूमि अर्जन के लिए अधिक मुआवजे की मांग के कारण राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपने में काफी विलंब हुआ है। शेष भूमि पर कब्जे के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण आईआरसी विनिर्देशों में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाता है। संविदाकार/रियायतग्राही/प्राधिकरण के इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियर/ कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट आवृत्तियों पर गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा, आवश्यकतानुसार बाह्य तकनीकी संपरीक्षा भी की जाती है।

*****